रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 636] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 15, 2015/आश्विन 23, 1937
No. 636] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2015/ASVINA 23, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2015

सा.का.नि.782 (अ):– केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय इंजीनियरी प्रकोष्ठ, समूह 'ग' (अयोधक) पद भर्ती नियम, 2002 तथा गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, नक्शानवीस समूह 'ख' एवं समूह 'ग' पद (योधक) भर्ती नियम, 2007 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल में नक्शानवीस के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, इंजीनियरी गठन नक्शानवीस (समूह 'ख' एवं समूह 'ग' पद) योधक भर्ती नियम, 2015 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** .– ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान** :– पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि**:– भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हताएं** :– वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **अधिवर्षिता** :– (1) ऐसा व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों अधीन नियुक्त किया गया है, उस मास की अंतिम तारीख के अपरान्ह में, जिसको वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है सेवा निवृत्त होगाः

परन्तु यह कि ऐसा व्यक्ति, जिसकी जन्म की तारीख मास की पहली तारीख है, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन अपराह्न सेवा निवृत्त होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को उप नियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् सेवा विस्तारण प्रदान नहीं किया जाएगा।

7. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता** :– इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल ऐसे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप–I, में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

शेप– I से निम्नानुसार परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है :–

(i) कोड अक्षर शेप (एस.एच.ए.पी.ई), जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण अर्थात् :–

एस	–	मनोवैज्ञानिक
एच	–	श्रवण शक्ति
ए	–	एपेंडेजेज
पी	–	शारीरिक क्षमता
ई	–	दृष्टि क्षमता

(ii) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता, प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 की कार्यक्षमता उपदर्षित करते हुए दर्शाई जाएगी। कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी–I में है वहां उसका प्रवर्ग एस1एच1ए1पी1ई1 लिखने के बजाय शेप–1 लिखकर दर्षाया जा सकेगा। इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है:–

(1) भारत में कहीं भी सभी कर्त्तव्यों के लिए योग्य।
(2) सभी कर्त्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या, कर्त्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आँखों श्रवण शक्ति / दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्त्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं।
(3) "एस" कारक को छोड़कर नैमी या निष्क्रिय कर्त्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडों पर और दीर्घ कर्त्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं।
(4) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्त्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य।
(5) कर्त्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य।

8. **अन्य देशीय अपात्रता** :– कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि इन नियमों में अन्तर्विष्ट कोई बात नेपाल और भूटान के नागरिक की बल नियमों के अधीन उसकी नियुक्ति, नामांकन या नियोजन को विवर्जित नहीं करेगी।

9. **षिथिल करने की शक्ति** :– जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत्, आदेष द्वारा षिथिल कर सकेगी।

10. **व्यावृत्ति** :– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेषों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विषेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदनाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.निरीक्षक (नक्शानवीस श्रेणी–I)	01* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय(योधक)	वेतन बैंड 2, 9,300–34,800 रू. + ग्रेड वेतन 4,600 रू.

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और षैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः– भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिषतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दषा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति द्वारा :– वेतन बैंड–2, 9,300–34,800 रू0 + ग्रेड वेतन 4,200 रू0 में ऐसे उप निरीक्षक (नक्शानवीस श्रेणी–II) जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हों और जिनका चिकित्सा प्रवर्ग शेप–I हो।
टिप्पण 1:–जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
टिप्पण 2 :–प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।
प्रतिनियुक्ति/आमेलन :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के ऐसे कार्मिकों में से :

(क) (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने वेतन बैंड–2, 9300–34800 रू. + ग्रेड वेतन 4200 रू0 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हों; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं, अनुभव एवं चिकित्सक दृष्टता योग्यता है :

(i) जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य पास हो;
(ii) जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा समतुल्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था से दो वर्ष का नक्शानवीस (सिविल) का प्रमाण पत्र रखता हो; और
(iii) जिसका चिकित्सा प्रवर्ग शेप–I हो।

वांछनीय :
नक्शानवीस (सिविल) में चार वर्ष के अनुभव के साथ सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा।

टिप्पण 1 – पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 – प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले आधारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 – प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4 – प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतनमान संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्ष किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति के संबंध में विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल – अध्यक्ष 2. उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल – सदस्य 3. कमांडेंट अथवा कमांडेंट (वास्तुविद) सीमा सुरक्षा बल – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)
2. उप निरीक्षक (नक्शानवीस श्रेणी–II)	02* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय(योधक)	वेतन बैंड 2, 9,300–34,800 रू. + ग्रेड वेतन 4,200 रू.